

शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य 10.11.2024

थाना जलालाबाद पुलिस द्वारा 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के नामजद अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 09.11.2024 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर प्रतिपक्षी रामोद पुत्र रामधुन नि० ग्राम चचुआपुर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध वादी की पुत्री को गोद में बैठाकर गंदी हरकत करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 873/2024 धारा 65(2)/333 BNS व 5 एम/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कराया, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक जलालाबाद द्वारा सम्पादित की जा रही है।

घटना को श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय द्वारा गम्भीरता से लेते हुए नामित अभियुक्तगण की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में श्री मनोज कुमार अवस्थी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन एवं श्री अजय कुमार राय क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण तथा श्री प्रदीप कुमार राय प्रभारी निरीक्षक जलालाबाद के कुशल नेतृत्व में गठित टीम उ०नि० श्री राजकुमार सिंह मय हमराही का० 400 दर्शन सिंह व का० 2009 सचिन कुमार के द्वारा आज दिनांक 10.11.2024 को अभियुक्त रामोद पुत्र रामधुन नि० ग्राम चचुआपुर थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर को समय करीब 10.53 बजे उसके घर ग्राम चचुआपुर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०स० 873/2024 धारा 65(2)/333 BNS व 5 एम/6 पाक्सो एक्ट बनाम रामोद

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम -

➤ रामोद पुत्र रामधुन नि० ग्राम चचुआपुर थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. श्री प्रदीप कुमार राय प्रभारी निरीक्षक थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ०नि० श्री राजकुमार सिंह
3. का० 400 दर्शन सिंह
4. का० 2009 सचिन कुमार